18/12/24 आज यह पत्रावली वकील वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152CPC व 151CPC पर पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि। उक्त पत्रा० मे निर्णय दि० 05/11/24 मे वर्णित आराजी का जिस-2 वादी व प्रतिवादी को खातेदारी प्राप्त होगी उनमें से अगर किसी पक्षकार ने किसी भी बैंक मे रहन रखकर लोन ले रखा है तो उसके खातेदारी कॉलम मे बैंक के रहन का नोट यथावत अंकित रखा जावे। 152CPC व 151CPC के तहत दुरुस्त किया जावे।

हमने वकील वादी को सुना पत्रावली का अध्ययन किया। दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/11/24 को इस कदर संशोधित किया जाता है। कि वाद-पत्र अमर सिंह बनाम ईश्वर वाद सं. 107/2023 मे जिस खातेदार के हिस्से पर जिस बैंक के रहन का नोट लगा हुआ है उसे हटाया जाकर उसके हिस्से मे आयी आराजी पर रहन का नोट लगाया जाने के आदेश दिये जाते है। पक्षकारान के बटे हुये हिस्से अनुसार रहन का नोट लगाया जाये। प्रार्थना पत्र नम्बर से कम होकर संलग्न वाद-पत्र रहे।

उपखण्ड कलेक्टर
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)